	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2018	पत्रावली लोक अदालत कैम्प ताणुमानजी में पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 24 से 30 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजुद सूचना व तामिल के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 24 से 30 के अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र वास्ते पत्रावली तारीख पेशी पर लेने का प्रस्तुत किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण ने अपनी अनापति पेश की। अतः विप्रार्थीगण संख्या 24 से 30 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को आज बमुकाम कैम्प ताणुमानजी में सुनवाई हेतु रखा जाने का आदेश दिया जाता है। उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि **के** रिकार्डेड खातेदार हैं तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादीत भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है तथा विप्रार्थी संख्या 24 से 30 के वकील ने भी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का निवेदन किया जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार किया। अतः प्रार्थीगण के आवेदन व विप्रार्थी संख्या 24 से 30 के काउण्टर क्लैम को स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा** को प्रार्थी की **मौजा शिव, पटवार मण्डल शिव** में अवस्थित खातेदारी भूमि **खेत खसरा नम्बर 320 व 321 रकबा 217.18 व 120.17 बीघा भूमि एवं** विप्रार्थी संख्या 24 से 30 की मौजा **शिव, पटवार मण्डल शिव में** अवस्थित खातेदारी के खेत ख0 **न0 279 व 280 रकबा 168.05 व 39.15 बीघा भूमि** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु 1000 /– 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 24 से 30 मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **गूंगा** बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner